भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : **1490**
गुरुवार, 15 दिसम्बर, 2022 /24 अग्रहायण, 1944 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

<u>सस्ती घरेलू उड़ानें</u>

1490. श्री राजन बाबूराव विचारे:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने आम जनता को सस्ती विमान यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा सस्ती घरेलू उड़ानों के संचालन के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;
(ग) सरकार का इस प्रणाली को किन-किन राज्यों में लागू करने का विचार है: और
(घ) इसके लिए लागू की जाने वाली संभावित दरों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

<u>नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल) (डॉ.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त)</u>

(क) से (घ): नागर विमानन मंत्रालय ने दिनांक 21.10.2016 को क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस)-उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) शुरू की है ताकि देश भर में अपरिचालित और अल्प परिचालित हवाईअड्डों से क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाया जा सके और जनता के लिए हवाई यात्रा किफायती बनाई जा सके। उड़ान योजना के तहत, सरकार ने क्षेत्रीय सम्पर्क मार्गों (एक घंटे की उड़ान के बराबर) के अंतर्गत 500 किमी से 600 किमी प्रति आरसीएस सीट की दूरी के लिए 2500 रुपये के सांकेतिक हवाई किराया निर्धारित किया है। चयनित हवाईअड्डा प्रचालक के लिए उड़ान योजना के तहत फिक्सड पंख वाले विमान में विमान की बैठने की क्षमता का 50% तक या अधिकतम 40 सीटें, जो भी कम हो, प्रदान करना अपेक्षित होता है। यह विमान किराया उड़ान योजना दस्तावेज़ में विनिर्दिष्ट सूत्र के अनुसार सूचीकरण के अधीन है। उड़ान एक बाजार आधारित योजना है। इच्छुक एयरलाइनें, विशेष मार्गों पर मांग के अपने आकलन के आधार पर उड़ान के तहत बोली प्रक्रिया के समय अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं।

****